भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *201

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना

*201. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जल सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का दूसरे चरण में उक्त कार्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित कोई रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘जल सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना’ के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *201 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार, तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूर्णता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नदी बेसिन आंकलन और अपनी सभी मुख्य नदी बेसिनों के लिए योजना विकसीत की गई है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, डब्ल्यू.एफ.आर, तापी और नर्मदा बेसिन के लिए एक एकीकृत राज्य जल योजना तैयार की गई है। गुजरात राज्य द्वारा साबरमती नदी बेसिन (भारत) के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। उपर्युक्त सभी तीनों योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख): जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) को जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुरूप बनाने तथा एक स्थायी जल शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं की परिकल्पना की गई है, ताकि एकीकृत जल संसाधन को लेकर एक व्यापक रणनीति तैयार की जा सके। ‘जल क्षेत्र के लिए इन (एनएपीसीसी) की संरचना’ वर्ष 2015 में तैयार की गई थी और बाद में, इन्हें राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य-5 के अंतर्गत वर्ष 2016 में रणनीति के रूप में अपनाया गया था। अपेक्षानुसार, राज्य विशिष्ट कार्य योजना में तीन चरण शामिल होते हैं अर्थात् मसौदा स्थिति रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इन राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ‘वृहत’ राज्यों के लिए 50 लाख रूपये और ‘लघु’ राज्यों को 30 लाख रूपये की संस्वीकृत राशि प्रदान की जाती है।

(ग): राज्य विशिष्ट कार्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य, पहले से ही शामिल हैं। उसे 50 लाख रूपये की संस्वीकृत राशि प्रदान की गई है, जिसमें से, 20 लाख रूपये और 15 लाख रूपये की राशि क्रमशः वर्ष 2016 और वर्ष 2023 में जारी की गई है।

(घ): राज्य विशिष्ट कार्य योजना के विभिन्न चरणों के अतंर्गत ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, नीचे संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

'जल सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना' के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *201 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्यों की सूची/संघ राज्य क्षेत्र
बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, गोवा, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हरियाणा, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात

*****